हिमाचल प्रदेश सरकार
बहुउद्देशीय परियोजना एवं ऊर्जा विभाग

संख्याः एम. पी. पी.–एफ. (1)–1/2005–III   तारीख,   शिमला–2,   7 मार्च, 2017

अधिसूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 70 के अधीन गठित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 53 के साथ पठित धारा 177 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से सम्बधित उपायों का उपबन्ध करने के लिए विनियम अर्थात् केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति से सम्बन्धित उपाय) विनियम, 2010 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "सी.ई.ए. रैग्यूलेशनज" कहा गया है) विरचित किए है;

"सी.ई.ए. रैग्यूलेशनज" के विनियम 36 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 162 की उपधारा (1) के अधीन उपबन्धों के निबन्धनों के अनुसार समुचित सरकार, ऐसा कनेक्टेड लोड और वोल्टेज स्तर अधिसूचित करने के लिए सशक्त है जिससे ऊपर के लिए पन्द्रह मीटर से अधिक ऊँचाई वाली बहुमंजिला इमारतों के लिए निरीक्षण मुख्य विद्युत निरीक्षक से करवाया जाना अपेक्षित होगा;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, "सी.ई.ए रैग्यूलेशनज" के विनियम 36 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 162 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचित करते हैं कि पन्द्रह मीटर से अधिक ऊँचाई वाली बहुमंजिला इमारतों मे विद्युत आपूर्ति आरम्भ होने पर (कनेक्टेड लोड को ध्यान मे रखे बिना) 440 वोल्ट से अधिक की वोल्टेज सप्लाई वाले सभी इन्स्टालेशनज का निरीक्षण मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा किया जाएगा।

परन्तु, 11 के.वी. से कम वोल्टेज सप्लाई के पन्द्रह मीटर से अधिक ऊँचाई वाले बहुमंजिला भवनों के स्वामी या प्रदायकर्ता या उपभोक्ता के पास के ऐसे इन्स्टालेशनज का मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा निरीक्षण करवाने, परीक्षण करवाने और प्रमाणन करवाने का विकल्प भी होगा।

यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

आदेश द्वारा

तरूण श्रीधर
अतिरिक्त मुख्य सचिव (ऊर्जा)
हिमाचल प्रदेश सरकार

7905
17/3/17
C.E.I.
E.I.
P.S.

पृष्ठांकन संख्याःएम0पी0पी0–एफ(1)–1/2005–III दिनांक शिमला–2, 7 मार्च, 2017
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित हैः–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार,शिमला–171002.
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
3. निदेशक, ऊर्जा, हिमाचल प्रदेश, शान्ति भवन, फेज– III सेक्टर–6, न्यु शिमला–9.
4. सचिव, हि0प्र0 विद्युत विनियामक आयोग, क्यौंथल कॉमर्शियल कम्पलैक्स, खलीणी, शिमला–171002.
5. मुख्य विद्युत निरीक्षक, ब्लाक न0–29, एस0डी0ए0 कम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला–171009.
6. प्रबन्ध निदेशक, हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड लि0, विद्युत भवन, शिमला–171004
7. प्रबन्ध निदेशक, हि0प्र0 पावर संचार निगम लि0, हिमफैड भवन, नजदीक एम0एल0ए0 कवार्टर, पांजरी टूटी कण्डी, शिमला–171005.
8. प्रबन्ध निदेशक, हि0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, हिमफैड भवन, बीसीएस, न्यू शिमला–9.
9. उप विधि परामर्शी एंव उप सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2.
10. वरिष्ठ विधि अधिकारी, विधि विभाग (राजभाषा खण्ड) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2.
11. नियन्त्रक, लेखन एवं सामग्री विभाग, हि0प्र0 शिमला–171005 को हि0 प्र0 राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु ।
12. गार्ड नस्ति।

विशेष सचिव (विद्युत)
हिमाचल प्रदेश सरकार